उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-70/2019/911/92-2-19-76जांच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 29 अप्रैल, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बुलंदशहर में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत संशोधित कार्य योजना के अनुसार 03 परिवर्तित ग्रामों की स्वीकृत धनराशि पंचायती राज विभाग से प्राप्त न होने पर भी कार्य कराने एवं मनमाने ढंग से ठेकेदार को भुगतान न कराने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-46/2018/490/92-2-18-76जांच/2017 दिनांक 19-03-2018 द्वारा श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच अधिकारी/ मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-808/ग्रा0अ0वि0/आ0लि0/अनु0जांच-47/18-19 दि0 27-11-18 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या दिनांक 27-11-2018 में अपचारी अधिकारी, श्री हसनैन अहमद पर अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से आरोप संख्या-1 व 2 पूर्णरूप से एवं आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या-4 स्थापित नही पाया गया। अपचारी अधिकारी पर स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में शासन के पत्र संख्या-3007/92-2-18-76जांच/2017 दि0 04-12-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 27-11-2018 की प्रति अपचारी अधिकारी, श्री हसनैन अहमद को प्रेषित करते हुये उक्त जांच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 07-01-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। श्री अहमद पर स्थापित आरोप सं0-1, 2 व 3 निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम कुच्छेजा, लक्षमपुर एवं बागवाला में श्री हसनैन अहमद द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार माह दिसम्बर, 2016 में 200.00 मी0 में सी0सी0 कार्य पूर्ण दिखाया गया है इसके पश्चात माह जनवरी, 2017 की प्रगति आख्या में उक्त तीनों ग्रामों में क्रमश: 650 मी0, 630 मी0 एवं 630 मी0 सी0सी0 का कार्य पूर्ण दिखाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त ग्रामों में अधिकतर कार्य आपके कार्यकाल में कराया गया है, बिना स्वीकृति/धनराशि प्राप्त हुये उक्त ग्रामों में कार्य कराये जाने के लिये आप दोषी पाये जाते है, जिसके लिये श्री हसनैन को आरोपित किया गया है।

आरोप संख्या-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्री हसनैन अहमद के पत्रांक-2303 दिनांक 13-12-2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम कुच्छेजा, लक्षमपुर एवं बागवाला में माप पुस्तिका के अनुसार क्रमशः दिनांक 22-12-2016, 15-12-2016 एवं 22-11-2016 तक 13.892 लाख, 18.728 लाख एवं 12.354 लाख का कार्य हुआ दर्शाया गया है, जो कि श्री हसनैन द्वारा उपलब्ध करायी गयी माह दिसम्बर, 2016 एवं जनवरी, 2017 की प्रगति सूचना से मेल नही खाता है एवं माप पुस्तिका की तिथि को पूर्णतया: संदिग्ध करता है। इस प्रकार श्री हसनैन द्वारा गलत सूचना देने एवं शासन को गुमराह करने के दोषी पाया गया है।

<u>आरोप संख्या-3</u>

श्री हसनैन अहमद द्वारा प्रखण्ड-बुलंदशहर में दिनांक 16-12-2016 को योगदान करने के उपरान्त डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम कुच्छेजा, लक्षमपुर एवं बागवाला में बिना धनराशि स्वीकृत हुये कार्य कराये गये एवं ठेकेदारों को उसका भुगतान न किये जाने के फलस्वरूप शासन एवं विभाग की छवि धूमिल हुई है जबकि उक्त तीनों ग्रामों में आप द्वारा प्रस्तुत प्रगति सूचना के अनुसार 13.892, 18.728 एवं 12.354 लाख का कार्य कराया गया, जिसकी कुल लागत 44.974 लाख आती है। विभाग को आवंटित धनराशि के अनुदान संख्या-14 में 30.00 लाख 01 ग्राम के लिये, से उपरोक्त का भुगतान किया जा सकता था, परन्तु आपके द्वारा ऐसा ना कर ठेकेदारों को प्रताडित किया गया तथा शासन एवं विभाग की छवि धूमिल की गयी, जिसके लिये श्री हसनैन अहमद को आरोपित किया जाता है।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त आरोप सं0-1 व 2 पूर्णरूप से एवं आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या-4 स्थापित नही पाया गया। स्थापित पाये गये आरोप संख्या-1 में प्रश्नगत निर्माण कार्य की बिना स्वीकृत धनराशि प्राप्त किये कार्य कराने हेतु अपचारी अधिकारी को आरोपित किया गया है। इस संबंध में अपचारी अधिकारी का यह कथन है कि प्रखण्ड-बुलंदशहर में उनके दिनांक 16-12-2016 को योगदान के पश्चात उक्त ग्रामों में अपचारी अधिकारी द्वारा कोई कार्य नही कराया गया, के सापेक्ष संलग्न अभिलेखों से इसकी पुष्टि नही हुई है। अपचारी अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रगति सूचनाओं सहित बचाव उत्तर के साथ संलग्न की गयी माप पुस्तिकाओं के अनुसार भी अपचारी अधिकारी द्वारा बिना धनराशि प्राप्त किये कार्य कराने की स्थिति पायी गयी है। अतः उक्त आरोप संख्या-1 के उत्तरदायित्व हेतु श्री अहमद को मुक्त नही किया जा सकता है।

4- आरोप संख्या-2 में अपचारी अधिकारी को गलत सूचना देने एवं शासन को गुमराह करने के लिये आरोपित किया गया है, जिसके संबंध में परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में अपने से उच्च अधिकारियों के प्रति असंयत एवं अमर्यादित टिप्पणी की गयी है और उनके द्वारा दी गयी प्रगति रिपोर्ट की सूचना तथ्यपरक नही पायी गयी। अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर के साथ संलग्न अभिलेखों से भी उनके योगदान दिनांक 16-12-2017 के पश्चात कार्य कराने की स्थिति पायी गयी। अतः उक्त आरोप अपचारी अधिकारी पर सिद्ध होते है।

5- इसी प्रकार आरोप संख्या-3 जिसमें अपचारी अधिकारी को प्रखण्ड-बुलंदशहर में अपनी योगदान तिथि दिनांक 16-12-2016 के उपरांत लोहिया ग्रामों में बिना धनराशि स्वीकृत किये कार्य कराने एवं ठेकेदारों को उसका भुगतान न किये जाने के फलस्वरूप शासन एवं विभाग की छवि धूमिल करने हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आरोपित किया गया है के संबंध में परीक्षणोरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी के योगदान की तिथि दिनांक 16-12-2016 के उपरान्त भी उक्त ग्रामों में निर्माण कार्य कराये गये जिसके लिये श्री हसनैन अहमद को उत्तरदायी पाया गया है।

6- श्री हसनैन अहमद पर अधिरोपित आरोप संख्या-1 व 2 पूर्णरूप से तथा आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये है। अत: उनके विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-07-2017 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

" प्रश्नगत प्रकरण में पुनरीक्षित निर्माण कार्य को जिलाधिकारी, बुलंदशहर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात कार्य कराये गये जिसमें तत्समय किसी प्रकार का भुगतान न किये जाने से यदयपि किसी प्रकार की शासकीय क्षति नही पायी गयी, परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा बिना धनांवटन के कार्य कराने, अन्य कार्यो की बचत की धनराशि जो उसी मद या उसी वर्ष में अवशेष थी से भुगतान करने की अनुमति नियमानुसार पंचायती राज के सक्षम अधिकारी से न प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप ठेकेदारों को भुगतान न किये जाने से शासन एवं विभाग की छवि धूमिल करने हेतु श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-बुलंदशहर को परिनिन्दित किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-70 /2019/911(1)/92-2-2019 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति प्रखण्ड-बरेली द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को उनकी चरित्र पंजिका में वर्ष 2019-20 के साथ रखे जाने हेतु।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in